

## मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) खण्डवा पट्टा चूरु

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

उनवान

पप्पुलाल

बनाम

राजस्वत-सरकार

दावा बाबत नाम दुख्ती फ 88 R.T.A.

मुकदमा नम्बर :- 117/2021

निर्णय दिनांक :- 24-11-2021

वादी की ओर से .....~~स्वयं~~.....की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24-11-21 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि रोही उपखण्ड प. साविया खेत खता संख्या 47 में अंकित हनुमान पुत्र रामेश्वर के स्वाम पर पप्पुलाल पुत्र रामेश्वर दर्ज करके कु आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरु उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अग्रत्व इशारा करें। उक्त नाम दुख्ती के संबंध में प्रविष्ट में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी समस्त विजयकारी प्राप्ति ही होगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



24/11/21

( राहुल सैनी )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

## वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़



नामा.सो

697

24-11-2021